निग० न० पा० 7/2016 रतनलाल/न० पा० मोडन

2016/00236

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
29-11-22	पत्रावली पेश हुई। निगराकार अभिभाषक श्री राकेश अरोडा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मदनलाल गुर्जर अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से श्री अजीतसिंह राठौड अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अभिभाषक द्वारा दिनांक 16.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण अबेट होने से खारिज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया। उभय पक्ष के अभिभाषकगण को प्रार्थना पत्र प्रकरण अबेट होने से खारिज किये जाने पर सुना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस उनवानी प्रकरण में प्रार्थी रतनलाल का अप्रैल 2021 में देहांत हो चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में मृतक रतनलाल की समयावधि में कायम मुकाम कार्यवाही नही की गई है, जिससे उक्त प्रकरण कानूनन स्वतः ही अबेट होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के कथन का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ने समर्थन किया। निगराकार अभिभाषक ने कायम मुकाम कार्यवाही करने में असमर्थता जाहिर की है। मैंने उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के उक्त कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गौर किया। अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपीलांट मृतक रतनलाल के कायम मुकाम की कार्यवाही किये जाने में असमर्थता जाहिर की है जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण अबेट होने से खारिज किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस प्रकरण को प्रार्थी मृतक रतनलाल की अन्दर समयावधि में कायम मुकाम कार्यवाही नहीं किये जाने से प्रकरण अबेट होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) संभागीय आयुक्त अजमेर	

Scanned with CamScanner